न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 5/2023 बउनवानी हरि सिंह माली बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार तलावडा
पुत्र श्री सुखचन्द माली निवासी मच्छीपुरा तहसील तलावडा

GCMS No-2023/8

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22.2.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 28.10.2022 लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. ऑन लाईन मे से प्रार्थी की जमाबन्दी एवं अकाउंट किस कारण से हटाया गया एवं कस की रिपोर्ट से हटाया गया है की सूचना प्रमाणित दी जावे। 2. प्रार्थी की जमाबन्दी एवं अकाउंट हटाने की रिपोर्ट कर्ता की रिपोर्ट की प्र.प्रति दी जावे। 3. कोई अन्य कारण की वजह की भी सूचना दिलावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही, दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा द्वारा जरिये जवाब नोटिस क्रमांक भू.अ./2022/64 दिनांक 27.1.2023 से अवगत करवाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 28.10.2022 मे चाही गयी सूचना के संबंध में तहसीलदार तलावडा के पत्रांक 399 दिनांक 29.11.2022 से अपीलान्ट को अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि चाही गयी सूचना तहसील तलवडा के कार्यालय मे उपलब्ध नही है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 28.10.2022 मे चाही गयी सूचना तहसील कार्यालय तलावडा में उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही होने के कारण जरिये पत्रांक /भू.अभि./2023/399 दिनांक 29.11.2022 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मुताबिक नियम दाखिल दफ्तर हो जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.12.19 11:36:26 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर